

## कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12-1 देहरादूनः दिनांक

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

संख्या:- 9 ३०

Phone/Fax: 0135 2767611

0/2

नवम्बर, 2023

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के कन्या जूनियर हाई स्कूल चावलखेत होकर बुडोगी गाँव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.7875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।(Online No.—FP/UK/OTHERS/144989/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/131/2021/एफ.सी./756, दिनांक–30.08.2022.

महोदय.

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पत्रांक 665/12-1 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :--

S. No.	बिन्दुवार लगाई गयी आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to Point no 1, the village Level committee (VLC) meeting proceedings are still not found uploaded. The state Govt. is requested to upload the VLC meeting proceedings at para k in Part I However, the same shall be submitted prior to the stage II approval	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि Level Committee (VLC) सही अपलोड कर दी गयी है।
2	In reply to point no. 2, the bar chart of the segments of the road is still not found uploaded. The State Govt is requested to upload the bar chart showing segments of the road.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि Complete बार चार्ट additional information document in Part I में अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point no. 3 it is submitted that 2.50 km road is already constructed. The State Govt, is requested to submit the details of reqarding Forest clearence approval. if any obtained in the past.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित 2.50 कि0मी0 मार्ग का निरीक्षण ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। उक्त 2.50 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित मार्ग में सम्पूर्ण नाप भूमि है, जिस कारण वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी।
4	The State Govt. has mentioned that no altenative is possible for construction of the road. However. It appears from the KML file that the alignment is taken in dense forest area at the end Point which may be avoided. The alignment is also taken in such a way so as to connect each & every house. Further the width of the road in forest land is proposed as 7m and in NFL up to 9m which may be reduced to minimum requirement to reduce the number of trees.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों एवं मानकों यथा मार्ग का ढाल (ग्रेडियन्ट) के अनुरूप स्वीकृत है, जिससे ग्राम सभा श्रीकोट, सावलीखाल एवं बुडोगी चवालखेत के अधिकांश ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त मोटर मार्ग वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का ढाल (ग्रेडियन्ट) अनुरूप न होने व ग्रामवासियों द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के साथ—साथ अत्याधिक वन भूमि क्षेत्र प्रभातिवत होने के कारण निरस्त किया गया। वर्तमान में स्वीकृत समरेखण में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं है।

5	In reply to point no 4, the state Govt. has started that the alternative is uploaded but the same does not serve the purpose. The objective of the proposed alignment seems to connect each and every house hold rather than connecting the village in such a way that least forest area & Tree are affected. The State govt is requested to carry out a joint inspection of the alingnment with the officials of PWD and the Forest Department in light of the above and explore the possibilities to reduce the length & width of the road and to reduce the number of affected trees as much as possible	मार्ग पर रवीकृत सगरेखण के अनुसार पूर्व निर्मित नई टिहरी वुडोगी मोटर मार्ग रो प्रारम्भ करते हुये एन०एच०-707ए० के कि०मी० 232.50 अन्तिम बिन्दु पर जोडा जाना है। अतः अन्तिम बिन्दु में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। लो०नि०वि० के मानको के अनुसार वन भूमि क्षेत्रान्तर्गत 7.00 मीटर चौडाई से कम की चौडाई में मार्ग निर्मित किया जाना संभव नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व में मार्ग के प्रस्तावित एवं वैकल्पिक समरेखणों का चयन करते समय वन विभाग एवं राजरव विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें अधिकांश ग्रामवासियों द्वारा वैकल्पिक समरेखण पर असहमति व्यवत करते हुये प्रस्तावित समरेखण को रवीकृत किये जाने हेतु सहमति दी गयी। साथ ही मोटर मार्ग के वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का ढाल (ग्रेडियन्ट) अनुरूप न होने व अत्यधिक वन भूमि क्षेत्र प्रभावित होने के कारण निरस्त करते हुये प्रस्तावित समरेखण स्वीकृति किया गया। वर्तमान में रवीकृत समरेखण में किसी भी प्रकार का बदलाव व लो०नि०वि० के मानकों के अनुसार वन भूमि में 7.00 मीटर
6	There is an existing road above the village. The possibility of connecting this road with the proposed road from the point no 11 of the proposed alignment needs to be explored as this will reduce the requirement of forest land and the number of trees proposed to be felled	चौडाई से कम में मार्ग निर्मित किया जाना संभव नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के स्वीकृत समरेखण के बिन्दु सं0–11 से यदि माग को एन०एच०–707ए० से जोडा जाता तो मार्ग का ग्रेड लो०नि०वि० की विशिष्टयों एवं मानकों के अनुरूप न होकर अत्यधिक हो जाता। जो कि उचित प्रतीत नही था। इसलिए मार्ग के अन्तिम बिन्दु को ए०एच०–707ए० के कि०मी० 232.50 पर जोडा गया। अतः अन्तिम बिन्दु में परिवर्तन किया जाना सभंव नहीं है।
7	The State Govt. is also requested to reduce the width of the road as per bare minimum requirement.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लोoनिoविo के मानकों के अनुसार वन भूमि क्षेत्रान्तर्गत 7.00 मीटर चौडाई से कम की चौडाई में मार्ग निर्मित किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति करने का कष्ट करें। संलग्न:— यथोपरि।

> (आरठके० मिश्र) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या <u>प्रिट्</u> / 12-1 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती ।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(आरॅंकें) मिश्र) अपर प्रमुख वन संरक्षक \ एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,